न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 193 / 2022
ओमप्रकाश पुत्र स्व0 श्री मक्खनलाल, निवासी बणी मौहल्ला, वार्ड नं0 3, शिमला, मु0पो0 शिमला, तहसील खेतडी, जिला झुंझुनूं।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) खेतडी।

– –

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

आदेश

दिनांक 29.06.2022

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 06.06.2022 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 193 / 2022 पर दिनांक 07.06.2022 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) खेतडी के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) खेतडी को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) खेतडी से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक / 2021 / 2525–26 दिनांक 07.06.2022 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) खेतडी ने पत्रांक पी0ए0 / सू0अ0अ0(03) / 2022 / 663 दिनांक 20.06.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलकर्ता श्री ओमप्रकाश पुत्र स्व0 श्री मक्खनलाल यादव, निवासी बणी मौहल्ला, वार्ड नं0 3, शिमला, मु0पो0 शिमला, तहसील खेतडी, जिला झुंझुनूं के सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना चाहने बाबत तीन आवेदन पत्र इस कार्यालय मे प्राप्त हुऐ है जिनके संबंध मे आवेदनवार वस्तुस्थिति की रिपोर्ट निम्नानुसार है (1) आवेदक द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना चाहने बाबत प्रथम आवेदन श्रीमान् लोक सूचना अधिकारी, अपर जिला कलक्टर झुंझुनूं के पत्रांक एफ 16 (4)(5)न्याय / सू0अ0 / 09 / 05 दिनांक 06.01.2022 के द्वारा अन्तरित होकर दिनांक 10.01.2022 को इस कार्यालय मे प्राप्त हुआ। आवेदक द्वारा आवेदन पत्र मे चाही गई सूचना इस कार्यालय के पत्रांक राजस्व / सू0अ0अ0 / (03) / 2022 / 59–60 दिनांक 13.01.2022 द्वारा आवेदक को निर्धारित समयावधि मे उपलब्ध करवा दी गई थी कि आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 26.11.2021 प्राप्त होने पर इस कार्यालय द्वारा पत्र कमांक राजस्व / 2021 / 1328 दिनांक 03.12.2021 द्वारा तहसीलदार खेतडी को प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों के संबंध मे जांच कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु लिखा गया है। संबंधित दस्तावेजात् की प्रमाणित नकल आप किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय मे उपस्थित होकर निर्धारित प्रतिलिपि आवेदन मय निर्धारित प्रतिलिपि शुल्क (कोर्ट फीस टिकिट) प्रस्तुत कर प्राप्त कर सकते है। (2) आवेदक द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना चाहने बाबत द्वितीय आवेदन ऑन लाईन RTI Portal पर प्राप्त हुआ। जिसमे आवेदक द्वारा किस संबंध मे क्या सूचना चाही गई है, इसका उल्लेख नही किया गया था। आवेदक को इस कार्यालय के पत्रांक पी0ए0 / सू0अ0अ0 (06) / 2022 / 99 दिनांक 28.01.2022 द्वारा आवेदक को निर्धारित समयावधि मे सूचित कर दिया गया था कि आप द्वारा किस संबंध मे क्या सूचना चाही गई है इसका उल्लेख नही किया गया है। विषयवस्तु के अभाव मे सूचना उपलब्ध करवाया जाना संभव नही है। (3) आवेदक द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना चाहने बाबत तृतीय आवेदन ऑन लाईन RTI Portal पर प्राप्त हुआ। जिसमे आवेदक द्वारा किस संबंध मे क्या सूचना चाही गई है, इसका उल्लेख नही किया गया था। आवेदक को इस कार्यालय के पत्रांक पी0ए0 / सू0अ0अ0 (07) / 2022 / 100 दिनांक 28.01.2022 द्वारा आवेदक को निर्धारित समयावधि मे सूचित कर दिया गय था कि आप द्वारा किस संबंध मे क्या सूचना चाही गई है इसका उल्लेख नही किया गया है। विषयवस्तु के अभाव मे सूचना उपलब्ध करवाया जाना संभव नही है। अतः अपील खारिज किये जाने की कृपा करावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं हुआ।
6. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) खेतडी ने पत्रांक पी0ए0 / सू0अ0अ0(03) / 2022 / 663 दिनांक 20.06.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलकर्ता श्री ओमप्रकाश पुत्र स्व0 श्री मक्खनलाल यादव, निवासी बणी मौहल्ला, वार्ड नं0 3, शिमला, मु0पो0 शिमला, तहसील खेतडी, जिला झुंझुनूं के सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना चाहने बाबत तीन आवेदन पत्र उनके कार्यालय मे प्राप्त हुऐ है जिनके संबंध मे आवेदनवार वस्तुस्थिति की रिपोर्ट निम्नानुसार है (1) आवेदक द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.07.06 15:12:24 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुंझुनूं

सूचना चाहने बाबत प्रथम आवेदन श्रीमान् लोक सूचना अधिकारी, अपर जिला कलक्टर झुंझुनूं के पत्रांक एफ 16 (4)(5)न्याय/सू0अ0/09/05 दिनांक 06.01.2022 के द्वारा अन्तरित होकर दिनांक 10.01.2022 को उनके कार्यालय मे प्राप्त हुआ। आवेदक द्वारा आवेदन पत्र मे चाही गई सूचना उनके कार्यालय के पत्रांक राजस्व/सू0अ0अ0/(03)/2022/59–60 दिनांक 13.01.2022 द्वारा आवेदक को निर्धारित समयावधि मे उपलब्ध करवा दी गई थी कि आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 26.11.2021 प्राप्त होने पर उनके कार्यालय द्वारा पत्र क्रमांक राजस्व/2021/1328 दिनांक 03.12.2021 द्वारा तहसीलदार खेतडी को प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों के संबंध मे जांच कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु लिखा गया है। संबंधित दस्तावेजात् की प्रमाणित नकल आप किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय मे उपस्थित होकर निर्धारित प्रतिलिपि आवेदन मय निर्धारित प्रतिलिपि शुल्क (कोर्ट फीस टिकिट) प्रस्तुत कर प्राप्त कर सकते है। (2) आवेदक द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना चाहने बाबत द्वितीय आवेदन ऑन लाईन RTI Portal पर प्राप्त हुआ। जिसमे आवेदक द्वारा किस संबंध मे क्या सूचना चाही गई है, इसका उल्लेख नही किया गया था। आवेदक को उनके कार्यालय के पत्रांक पी0ए0/सू0अ0अ0 (06)/2022/99 दिनांक 28.01.2022 द्वारा आवेदक को निर्धारित समयावधि मे सूचित कर दिया गया था कि आप द्वारा किस संबंध मे क्या सूचना चाही गई है इसका उल्लेख नही किया गया है। विषयवस्तु के अभाव मे सूचना उपलब्ध करवाया जाना संभव नही है। (3) आवेदक द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना चाहने बाबत तृतीय आवेदन ऑन लाईन RTI Portal पर प्राप्त हुआ। जिसमे आवेदक द्वारा किस संबंध मे क्या सूचना चाही गई है, इसका उल्लेख नही किया गया था। आवेदक को उनके कार्यालय के पत्रांक पी0ए0/सू0अ0अ0 (07)/2022/100 दिनांक 28.01.2022 द्वारा आवेदक को निर्धारित समयावधि मे सूचित कर दिया गय था कि आप द्वारा किस संबंध मे क्या सूचना चाही गई है इसका उल्लेख नही किया गया है। विषयवस्तु के अभाव मे सूचना उपलब्ध करवाया जाना संभव नही है। चूंकि प्रार्थी को निर्णय के बिन्दू सं0 4 के उप बिन्दू 2 व 3 की सूचना नही मिली है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) खेतडी को आदेश दिये जाते है कि निर्णय के बिन्दू सं0 4 के उप बिन्दू 2 व 3 की सूचना 7 दिवस निःशुल्क उपलब्ध करवाई जावे।

7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 29.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर झुंझुनूं
जिला कलक्टर, झुंझुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.07.06 15:12:24 IST
Reason: SelfAttested